संख्याः 2311/9–आ–4–97–433एन/97

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण (नगर निगम क्षेत्र)
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद तथा लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर,1997

विषयः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ व क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्याः 2228/9–आ–1–97 दिनांक 01 मई, 1997 द्वारा प्रवेश के नगर निगम क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को सामर्थ्य एवं क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना में वास्तविक लागत से कम मूल्य पर आश्रय उपलब्ध कराया जाना निहित है। प्राधिकरण द्वारा संचालित यह योजना कमजोरों के हित की है इससे प्राधिकरण को कोई लाभ नहीं है।

अतः शासन ने विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 02.12.1992 के प्रस्तर–2 (1) (क) में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त योजना के लिये आवासीय निर्माण हेतु नजूल भूमि निम्न शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(1) इस प्रयोजन हेतु ऐसी निर्बाध रूप से रिक्त नजूल भूमि चयनित की जायेगी जिसका सर्किल रेट रू0 300.00 प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं है।

(2) शासनादेश संख्याः 3082/9–आ–4–95–62एन/95, दिनांक 01.01.1996 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रिक्त नजूल भूमि पर गरीब व्यक्तियों के आवासीय अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अतः जिन व्यक्तियों को शासनादेश दिनांक 01.01.1996 के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य है, उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत आवासों का आवंटन नहीं किया जायेगा ताकि एक ही व्यक्ति दोनों शासनादेशों का लाभ प्राप्त कर सके।

(3) इस योजना के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली नजूल भूमि पर विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत आवंटित भूमि का निर्दिष्ट प्रयोजन में उपयोग न किये जाने की दशा में आवंटित भूमि स्वतः शासन में निहित हो जायेगी।

(5) योजना के लिये स्थान चयन के उपरान्त नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

पृष्ठ संख्याः 2311(1)/9–आ–4–97, तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

राजकुमार सिंह
अनु सचिव